# सावधान ⚠ अपील

## खेतों में पुराली या अवशेष को न जलायें।

**नुकसानः–**

- इसके धुएँ से वातावरण पर बुरा असर पड़ता है।
- धुएँ व गैस के कारण बिमारियों का फैलना।
- मौसम में बदलाव से बारिश में कमी आना।
- आस-पास में आग लगने का खतरा।
- मिट्टी में विद्यमान मित्र कीटों में कमी होने से जमीन की उपजाऊ शक्ति का कम होना।
- पशुओं के चारे में कमी होना।

**उपायः–**

- पुराली को मशीन से काटकर पशुओं का चारा बनाना।
- पुराली को गत्ता मिल में बेचकर धन कमाना।
- पुराली को कम्पोस्टिंग करके जैविक खाद बनाना।
- खुंटो को काटने या जलाने की बजाए जीरो टीलेज मशीन द्वारा धान की सीधी बिजाई करना।

अगर कोई पुराली जलाता हुआ पाया जाता है तो वह पर्यावरण के नुकसान भी भरपाई देने के लिये उत्तरदायी होगा। जो कि निम्नलिखित है।–

| | |
|---|---|
| 1. दो एकड़ भूमि तक | ₹ 2500/– प्रति घटना |
| 2. दो से पांच एकड़ भूमि तक | ₹ 5000/– प्रति घटना |
| 3. पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर | ₹ 15000/– प्रति घटना |

**जिला प्रशासन एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड**

HARYANA STATE

## हर किसान की जिम्मेदारी

पराली को आग न लगायें
और इस बारे में
दूसरे किसानों को भी जागरूक करें

# प्रदूषण हटाओ जीवन बचाओ

आप क्या चाहेंगे
अच्छा स्वास्थ्य या रोगी जीवन?
निर्णय आपका !

आओ! हम एक संकल्प लें
**अपना फर्ज़ निभायें**
**पर्यावरण बचायें**
**खुद को और**
**नई पीढ़ी को**
**सुरक्षित व**
**स्वस्थ बनाएं**

वायु प्रदूषण से सांस, फेफड़ों से सम्बंधित बीमारियां तो होती ही है, सामान्य स्वास्थ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवन प्रत्याशा में कमी व असमय मृत्यु भी हो सकती है।

खेतों में आग लगाने से हवा में प्रदूषण के छोटे–छोटे कणों से पी.एम. 2.5 का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती हैं और कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है। अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों भी हो रही है।

**प्रभाव**

- पराली को जलाने से वायु प्रदूषण होता है।
- मिट्टी की जैविक गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- मिट्टी में मौजूद कई उपयोगी बैक्टीरिया व कीट नष्ट हो जाते है।

**उपाय**

- राष्ट्रीय कृषि नीति का पालन करे।
- पराली को जलाने के बजाय इससे जैविक खाद बनायें।
- इसका अन्य उपाय बायोमास एनर्जी, छप्पर बनाने तथा मशरूम की खेती आदि में करें।

**सावधान !** यदि कोई भी किसान/ व्यक्ति खेतों में पराली जलाता है तो आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत उसे 6 महीने की जेल व 15,000 रूपये तक का जुर्माना दोनों हो सकते है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड